न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 20/2022
प्रविष्टि दिनांक 23.02.2022

राजाराम पुत्र धन्ना जाति बैरवा निवासी सौन्दीफल तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला–टोक
–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार पीपलू दिनांक 01.12.2021 मिसल नम्बर 617/2021

उपस्थिति : (1) श्री ललित कुमार जग्रवाल,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 23.05.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर घर–बाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 79/रू. पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार पीपलू के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। निर्णय एक पक्षीय है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया दिया गया [illegible] लाटस द्वारा उक्त भूमि पर आज तक कोई फसल काश्त नही [illegible] करने हेतु अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक अपीलांट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

किया गया है,परन्तु निर्णय मे अपीलांट को पूर्व मे कब कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेंदखल किया गया का उल्लेख नही है। अपीलांट्स ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है0,किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर घर–बाडा का निर्माण करने पर तहसीलदार पीपलू द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 30 दिन की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट्स ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 515 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से मीनाक्षी की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 938/1 रकबा 0.20 है0, किस्म चरागाह वाके ग्राम सौन्दीफल तहसील पीपलू पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर घर–बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 03.03.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर मेरा कब्जा काश्त नही रहा है। मैने उक्त वर्णित भूमि से पूर्व मे ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान मे मौके पर मेरा कोई कब्जा नही है और ना ही भविष्य मे उक्त आराजी पर कब्जा करूंगा और नही परिवार का कोई सदस्य कब्जा करेगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे घर–बाडा का उल्लेख नही है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 515 निर्णय दिनांक 08.10.2021 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर [illegible] तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 01.12.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन [illegible] खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)